



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 2004/फाल्गुन 11, 1925

No. 219]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 2004/PHALGUNA 11, 1925

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2004

का.आ. 277(अ).—केन्द्रीय सरकार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के डा. के. एस. चारी, वैज्ञानिक 'जी' को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अगला आदेश होने तक, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त भारसाधन धारण करने के लिए नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 1 मई, 2004 से ही प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 12(31)/99-आईपीसी (खण्ड 4)]

एस. लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2004

S.O. 277(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 (37 of 2000), the Central Government hereby appoints Dr. K. S. Chari at present Scientist 'G', Department of Information Technology to hold additional charge of Registrar of Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design for the purposes of the said Act, till further order.

2. This notification shall come into force on and from the 1st day of May, 2004.

[F. No. 12(31)/99-IPC (Vol. IV)]

S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2004

का.आ. 278(अ).—केन्द्रीय सरकार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 2004 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिसूचना की धारा 3 और धारा 5 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 12(31)/99-आईपीसी (खण्ड 4)]

एस. लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2004

S.O. 278(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 (37 of 2000), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2004 as the date on which the provisions of Section 3 and Section 5 of the said Act shall come into force.

[F. No. 12(31)/99-IPC (Vol. IV)]

S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2004

का.आ. 279(अ).—केन्द्रीय सरकार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक रजिस्ट्री स्थापित करती है जो अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के नाम से ज्ञात होगी और यह विनिर्दिष्ट करती है कि इस प्रकार स्थापित अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का मुख्य कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में अवस्थित होगा और इसकी राज्यक्षेत्रीय परिसीमाएं जिसके भीतर अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय अपने कृत्य कर सकेगा, सम्पूर्ण भारत पर होंगी।

2. यह अधिसूचना 1 मई, 2004 से ही प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 12(31)/99-आईपीसी (खण्ड 4)]

एस. लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2004

S.O. 279(E).— In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 (37 of 2000), the Central Government hereby establishes a Registry which shall be known as the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry (SICLDR) and specify that the head office of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry so established shall be located in the Department of Information Technology, C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delhi and the territorial limits within which such office of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry may exercise its functions shall be the whole of India.

2. This notification shall come into force on and from the 1st day of May, 2004.

[F. No. 12(31)/99-IPC (Vol. IV)]

S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.